भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 705

दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए

एमएमडीआर अधिनियम में किए गए संशोधनों का प्रभाव

705. डॉ. राजेश मिश्राः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री मनीष जायसवालः
श्री दर्शन सिंह चौधरीः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री बलभद्र माझीः
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री रोडमल नागरः
श्री नव चरण माझीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर ओडिशा में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआरए) और खनिज नीलामी नियमों में किए गए संशोधनों का खनिज ब्लॉकों की नीलामी और संचालन को प्रारंभ करने में तेजी लाने पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ख) बोलीदाताओं या राज्यों के कारण होने वाले विलंब को कम करने में नवगठित मध्यस्थ समय-सीमा, शास्तियों और प्रोत्साहनों की विशेषकर ओडिशा में प्राप्त परिणामों के संदर्भ में प्रभावशीलता क्या है;
(ग) सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया में नव प्रवेशित राज्यों की संतुलित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय क्या हैं और ओडिशा, विशेषकर नबरंगपुर क्षेत्र में खनिज ब्लॉकों की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;
(घ) ओडिशा, विशेषकर नवरंगपुर जिले में घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन को प्रारंभ करने में और तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और इससे होने वाले अपेक्षित लाभ क्या हैं;
(ङ) क्या खनिज नीलामी के साथ-साथ खनिज परिवहन के लिए समर्पित गलियारे बनाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सिंगरौली में समर्पित गलियारा बनाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में खनिज रियायतों की नीलामी शुरू करने के लिए 2015 में संशोधन किया गया था। वर्ष 2021 में आगे के संशोधनों ने अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाकर, कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री की अनुमति देकर, नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को कानूनी मंजूरी के स्वचालित हस्तांतरण और खनिज रियायतों के हस्तांतरण की अनुमति देकर खनिज ब्लॉकों की तेज नीलामी और उनके प्रचालन को सुविधाजनक बनाया। जी4 स्तर पर समेकित अनुज्ञप्ति ब्लॉकों और जी3 स्तर पर सतही खनिजों के लिए खनन पट्टा ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देकर नीलामी के ढांचे को सरल बनाया गया। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों सहित, ब्लॉकों की नीलामी आयोजित करने के लिए सशक्त बनाया गया है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ये सुधार ओडिशा सहित सभी राज्यों पर लागू होते हैं।

वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के बाद से, वित्त वर्ष 2020-21 तक 108 ब्लॉकों की नीलामी की गई। वर्ष 2021 में खनन क्षेत्र में सुधारों के बाद, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक (अब तक) कुल 498 ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ओडिशा के संबंध में, वर्ष 2015 से कुल 60 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इसके अलावा, विभिन्न सुधारों के कारण प्रचालन की गति भी बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2024-25 तक, 56 ब्लॉकों को प्रचालित किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 (अब तक) में, 26 ब्लॉकों को पहले ही प्रचालित किया जा चुका है। ओडिशा के संबंध में, कुल 30 खनिज ब्लॉक प्रचालित गए हैं, जिनमें से 4 वित्त वर्ष 2025-26 में (अब तक) हैं।

(ख) खान मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2025 से खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में संशोधन किया है, जिसके द्वारा नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के प्रचालन को तेज करने के लिए इन नियमों में मध्यवर्ती समय-सीमा की शुरूआत की है। ये नियम ओडिशा सहित सभी राज्यों पर लागू होते हैं।

इन नियमों में प्रत्येक माह या माह के एक भाग के लिए समय-सीमा से अधिक विलंब (बोलीदाता के कारण) के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के 1% के विनियोग का प्रावधान है। इन नियमों में नीलामी प्रीमियम के अधीन देय, विनियोजित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन का भी प्रावधान है, यदि अंतिम लक्ष्य को इस निर्धारित समग्र समय-सीमा के

भीतर प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अलावा, इन नियमों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के पश्चात्, अधिमानित बोलीदाता को प्रत्येक माह या माह के एक भाग में आशय पत्र जारी करने में देरी के लिए अग्रिम भुगतान की दूसरी किश्त की राशि में 5% की कमी करने का भी प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, नीलाम की गई खानों से शीघ्र उत्पादन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पट्टेदार को खनन पट्टे के अनुदान हेतु आशय पत्र जारी होने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर या समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी होने की तारीख से सात वर्षों के भीतर, उत्पादित खनिज के लिए नीलामी प्रीमियम का केवल 50% भुगतान करना आवश्यक है।

(ग) राज्य गवेषित संसाधनों और चिह्नित ब्लॉकों के आधार पर ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखते हैं। खान मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों को और अधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) राज्य सरकारों को प्रत्येक खनिज ब्लॉक की सफल नीलामी के लिए 20 लाख रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है और उन ब्लॉकों के लिए, जो नीलामी के लिए रखे गए थे परंतु नीलाम नहीं किए जा सके, लेनदेन सलाहकार को भुगतान की गई राशि का 50% प्रति ब्लॉक 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रतिपूर्ति की जाती है। ये उपाय ओडिशा सहित सभी राज्यों पर लागू होते हैं।

(घ) खान मंत्रालय ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के प्रचालन को तेज करने और घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन महत्वपूर्ण उपायों में नियमित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें, खनिज (नीलामी) नियमों के तहत मध्यवर्ती समय-सीमा की शुरूआत, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2025-26 के माध्यम से वित्तीय प्रोत्साहन और एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई तथा खनन डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी शामिल हैं। ये उपाय ओडिशा सहित सभी राज्यों पर लागू होते हैं।

(ङ) और (च): खनिज नीलामी और खनन प्रचालन के बाद, खनिक खनिजों की ढुलाई के लिए देश में मौजूदा रेल-सड़क अवसंरचना का उपयोग करते हैं। रेल मंत्रालय उच्च यातायात घनत्व वाले रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ खनन सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों में वस्तुओं के सुगम परिवहन के लिए आवश्यकतानुसार समर्पित गलियारे बनाता है।
